


कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-:: संशोधन आदेश ::-

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के विभिन्न आदेश जारी किये गये थे, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 5 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

| क्र स | नाम कार्मिक | विषय | मूल आदेश क्रमांक/दिनांक | जारी संशोधन जो किया जाना है |
|----------|--|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सुनिता चौधरी, व्याख्याता, राउमावि.पु.भ. सिरोही | अर्थशास्त्र | शिविरा/माध्य/संस्था /सी-5/एसीपी/18-1 9 दिनांक-15.01.2019 | जन्मतिथि 01.03.1963 के स्थान पर 03.01. 1963, प्रथम नियुक्ति तिथि 07.01.1998 के स्थान पर 09.01.1998, व्याख्याता में चयन का प्रकार आरपीएससी के स्थान पर डीपीसी-2016-17 तथा एसीपी स्वीकृति तिथि-07.01.2018 के स्थान पर दिनांक-01. 07.2018 पढी जावें। |
| 2 | रोहिताश्व कुमार जाट, दरीबा प्रोजेक्ट अलवर | भूगोल | शिविरा/माध्य/संस्था/ सी-5/स्थाईकरण/पार्ट -III/2018-19/दिनांक -31.01.2019 | स्थाईकरण आदेश में क्रम सं. 09 कॉलम संख्या 09 में अंकित 16.10.2018 के स्थान पर 16.10.2017 पढा जाए। |


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
दिनांक - 19/12/2019

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/18-19

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर